DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE AND OTHER MATTERS)
FRIDAY 30TH MARCH 2001/ CHAITRA 09, 1923 (SAKA)

No : 145

Subject : Prohibition of demonstrations and dharna etc within Assembly premises.

Hon'ble Speaker has observed that some MLAs staged a demonstration and dharna holding placards within the Assembly premises. Hon'ble Speaker has disapproved the same and has issued the following direction regarding prohibition on the following activities in the Assembly premises :-

Holding of any public meeting.

Shouting of slogans and making speeches.

Processions and demonstrations.

Carrying of fire-arms, banners, placards, lathies, spears, swords, bricks etc.

Any other activities or conduct which may cause or tend to cause any obstruction or hindrance in the functioning of the offices located inside the complex or the tranquility of the complex.

Hon'ble members are requested kindly to extend co-operation and adhere to the above directions.

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

{विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी}

शुक्रवार, 30 मार्च, 2001/चैत्र 09, 1923 {शक}

संख्या : 145

विषय :-विधान सभा परिसर में प्रदर्शन एवं धरनों आदि पर प्रतिबन्ध ।

......

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा परिसर में कुछ इश्तेहार लेकर प्रदर्शन और धरने करते हुए देखा है । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इससे अप्रसन्नता व्यक्त की है और विधान सभा परिसर में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये हैं :-

किसी सार्वजनिक बैठक का आयोजन करना

नारेबाजी करना व भाषण देना

शोभा यात्रा और प्रदर्शन करना

शस्त्र, बैनर्स, इश्तेहार, लाठियां, भाले, तलवार, ईंट आदि ले जाना

कोई अन्य गतिविधियां और आचरण जो परिसर के भीतर स्थित कार्यालयों के कार्यकलापों में बाधा डालते हों अथवा परिसर की शांति भंग करते हों ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सहयोग दें और उपर्युक्त निर्देशों का पालन करें ।

एस. के. शर्मा
सचिव